

वित्तीय समावेशन:- चुनौतियों व समाधान

विरेन्द्र कुमार सैनी वरुण कुमार

^१ सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल,
राज्य-उत्तराखण्ड पिन-२६६१९३

agmsaini1981@gmail.com

शारंश:- वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार देश में सिर्फ ५९ प्रतिशत परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। शहरों में ६८ प्रतिशत और गांव में ५४ प्रतिशत परिवारों की पहुंच ही बैंकिंग सुविधा तक थी। जिससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं से अछूता होने के कारण गरीबी के कुचक्र से बहार नहीं निकल पाया है, जिस कारण कोई भी मजबूरी होने पर यह साहूकारों के वंगुल में फंस जाते हैं। गरीबों को वित्तीय रूप से अलग थलग रखकर कोई भी देश स्थायी प्रगति नहीं कर सकता है। वैश्विक स्तर की विभिन्न सस्थाओं जी-२०, विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी वित्तीय समावेशन को वैश्विक विकास का महत्वपूर्ण नियामक माना है। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर उन्हें देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना व शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। जिससे सम्पूर्ण देश का समतामूलक विकास सुनिश्चित हो सके जिसमें समता का भाव हो जो भेद भाव रहित हो, जिसमें विषमता न हो एवं जिसमें किसी का शोषण न हो।

यह शोध पत्र वित्तीय समावेशन के अभाव के कारण होने वाली असमानताओं और उन असमानताओं को दूर करने के लिए उठाये गये सुधारात्मक उपाय पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे हमारे राष्ट्र का समतामूलक विकास सुनिश्चित हो सके और देश वित्तीय समावेशन की विकास नीतियों से लाभांशित हो सके।

कुंजी शब्द:- , वित्तीय समावेशन, समतामूलक विकास , चुनौतियां, सुधारात्मक उपाय।

प्रस्तावना:- किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढांचा होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति भी आर्थिक विकास के लाभों को ले सकें अर्थात् कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित न रहे। जो वित्तीय समावेशन से ही संभव हो सकता है जिसके महत्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार द्वारा डिजिटल भारत अभियान प्रारंभ किया गया । भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की नींव रखी गई। वित्तीय समावेशन और डिजिटल भारत के सम्मिलित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही **जैम त्रयी** (जनधन आधार मोबाइल) योजना की आधारशिला रखी गई। वित्तीय समावेशन की जैम त्रयी योजना के द्वारा कोविड १९ के दौरान जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुंचाने में सहायनीय भूमिका रही है।

वर्तमान में वित्तीय समावेशन की जो परिभाषा उपयोग में है वह है औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा वंचित और अल्प आय वर्ग समूहों को सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। वित्तीय सेवाओं में, औपचारिक वित्तीय प्रणाली

से जो वर्ग समूह वंचित है। उन समस्त वर्ग समूह के प्रत्येक व्यक्तियों के लिए, बचत, ऋण, बीमा, भुगतान और प्रेषण सुविधाओं की सुगम पहुँच का प्रावधान करना है

वित्तीय समावेशन से संबंधित चुनौतियाँ:-

१-सभी की बैंकों तक पहुँच नहीं:- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग १९० मिलियन वयस्कों के पास बैंक खाता नहीं है, जिससे भारत चीन के बाद गैर बैंकिंग आबादी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।

२-डिजिटल डिवाइस का महंगा होना:- कम आय वाले उपभोक्ता जो डिजिटल सेवाएं का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। साथ ही इन लोगों में डिजिटल कौशल की भी कमी है।

३- वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतराल:- ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट २०१७ के अनुसार भारत में १७ वर्ष से अधिक आयु के ८३ प्रतिशत पुरुषों के अपेक्षा ७७ प्रतिशत महिलाओं ने ही किसी वित्तीय संस्थान में खाते का संचालन किया। जिससे पता चलता है कि वित्तीय समावेशन में महिलाओं की भागेदारी पुरुषों के सापेक्ष बहुत कम है।

४- वित्तीय साक्षरता की कमी:- वित्तीय समावेशन में वित्तीय साक्षरता की कमी सबसे बड़ी बाधा है जिसकी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता नामक एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य केंद्रीय बैंक और सामान्य बैंकिंग के बारे में स्कूल और कॉलेज के छात्रों , महिलाओं , ग्रामीण और शहरी गरीब, और वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिविलियरिटी ने पॉकेट मनी नामक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है।

५- नकद आधारित अर्थव्यवस्था :- भारत में डिजिटल भुगतान अपनाना अपनों में एक चुनौती है भारत नकदी आधारित अर्थव्यवस्था है जो लेन देन के लिए नकदी पर निर्भर रहते हैं जिस कारण डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए एक बाधा है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए उठाए गए कदम:- भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय समावेशन की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है। सन १९६७ में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, १९६९ में और १९८० में वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण, १९७० में अग्रणी बैंक योजना का क्रियान्वयन, १९७७ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना, १९९२ में स्वयं सहायता समूह बैंक कार्यक्रम की शुरुआत और २००१ में किसान कार्ड की शुरुआत आदि इसके उदहारण है।

वित्तीय समावेशन योजना का आकड़ों द्वारा विश्लेषण:-

विवरण	मार्च २०१० को समाप्त वर्ष	मार्च २०१६ को समाप्त वर्ष	मार्च २०१७ को समाप्त वर्ष	अप्रैल २०१६ से मार्च २०१७ तक प्रगति ल
गांवों में बैंकिंग केन्द्र- शाखाएं	३३३७८	७१८३०	७०८६०	-९७०

गांवों में बैंकिंग केन्द्र -शाखा रहित मोड	३४३१६	७३४४७७	७४७२३३	१२७७६
गांवों में बैंकिंग केन्द्र -कुल	६७६९४	७८६३०७	७९८०९३	११७८६

संदर्भ- भारतीय रिजर्व बैंक, वार्षिक रिपोर्ट २०१६-२०१७।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल २००७ के अपने वार्षिक नीति में वित्तीय वंचन की समस्या को स्वीकार किया है और उसके लिए सकारात्मक उपाय आरंभ किए हैं वित्तीय समावेशन के संवर्धन के उद्देश्य से की जाने वाली कुछ मुख्य पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

१- नो फ्रिल बचत खाते प्रारंभ किये गये, जिनमें या तो शून्य अथवा बहुत कम शेष अपेक्षित है और साथ ही प्रभार भी बहुत कम है, जिस कारण ऐसे खातों जनता के बड़े वर्ग तक पहुंच सुगम बनाते हैं।

२- बैंकों द्वारा ग्रामीण परिवारों की उनके नकदी प्रवाह के आधार पर ऋण तक बिना इंजस्ट के पहुंच सुगम बनाने के लिए २५००० रूपए तक की परिक्रामी ऋण सीमा के साथ, ही क्रेडिट कार्ड योजना को जारी किया जाने से वित्तीय समावेशन की दिशा में सकारात्मक कदम था।

३-भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से एक उप गवर्नर की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना पर एक समिति का गठन किया है जिससे उपरोक्त क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बहतर बनाया जा सके।

नाबार्ड द्वारा वित्तीय समावेशन के विकास के लिए उठाए गए कदम:-

नाबार्ड ने ऐसी अनेक पहलों को कार्यान्वित किया है जिन्होंने न केवल निर्धनों के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान किया है , अपितु उनकी विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की जीवन की निर्वाह स्थितियों में भी सुधार कर दिया है। जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका स्वयं सहायता समूह बैंको की रही है। नाबार्ड बैंक अनौपचारिक रूप से वित्तीय समावेशन के उद्देश्य अर्थात समावेशी वित्त विकास को प्रोत्साहित करने में सफल रहा है।

कारोबार सुसाधक और कारोबार संपर्की मॉडल:- अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच में वृद्धि करने के उद्देश्य से बैंकों को कारोबार सुसाधक और कारोबार संपर्की मॉडल का उपयोग करते हुए वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यवर्तियों के रूप में गैर सरकारी संगठनों स्वयं सहायता समूहों , सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इससे पहले यह अनुमान लगाया गया था कि अब तक देश में केवल २७ प्रतिशत भारतीय कृषक परिवारों की पहुंच ही संस्थागत उधार तक है अन्य २२ प्रतिशत साहूकारों पर निर्भर करते हैं तथा शेष ७१ प्रतिशत की पहुंच किसी संस्थागत उधार तक नहीं है और वे कृषि तथा अन्य क्रियाकलाप जारी रखने के लिए अपनी निधि सम्बन्धी आवश्यकताओं को स्वयं किसी न किसी प्रकार पूरा करते हैं। जिससे स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि बैंकिंग और वित्तीय

सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक और ऐसे लोगों तक औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से अभी तक वंचित है और यह कार्य इतना कठिन है कि केवल बैंक इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं जिसके समाधान के लिए कारोबार सुसाधक और कारोबार संपर्क मॉडल को अपनाकर ही किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक व्यवितियों के लिए, बचत, ऋण, बीमा, भुगतान और प्रेषण सुविधाओं की सुगम पहुँच का प्रावधान करना है।

कारोबार संपर्क का विचार ब्राजील से आया है, जहाँ फुटकर विक्रेता, लाटरी की दुकानों और डाकघर बैंक शाखाओं का भी कार्य करते हैं वर्ष २००७ में ब्राजील के १०००० अभिकर्ताओं के माध्यम से बॉयो मेट्रिक या स्मार्ट कार्ड रीडर जैसी बिक्री केन्द्र आदि उपायों के द्वारा अनुमानित रूप से दस करोड़ डॉलर का लेनदेन किया गया था और केवल तीन वर्ष की अवधि में इस नेटवर्क में लगभग १.२ करोड़ खाते खोले गए थे।

कारोबार संपर्क कौन बन सकता है:- कारोबार संपर्क के रूप में निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं।

१- गैर सरकारी संगठन

२- सोसाइटी अधिनियम के अधीन गठित सूक्ष्म वित्त संस्थाएं।

३- राज्यों के सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अधीन गठित सोसाइटी।

४- कंपनी अधिनियम १९५६ / २०१३ के अधीन पंजीकृत कंपनियां।

५- पंजीकृत एन०बी०एफ०सी कंपनियां।

६- डाकघर।

७- बीमा अभिकर्ता।

८- कृषि विज्ञान केन्द्र।

९- खादी ग्रामाद्योग।

१०- पंजीकृत ग्राम संगठन।

११- सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी।

१२- पूर्व सैनिक

१३- सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी।

विश्व बैंक की वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस रिपोर्ट व ग्लोबल फाइंडेवस रिपोर्ट २०१७ के अनुसार वर्ष २०१४ में अनुमानित ७३ प्रतिशत भारतीय वयस्कों के अपेक्षा वर्तमान में ८० प्रतिशत वयस्कों के पास एक बैंक खाता है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन ने अपने सफल कार्यान्वयन के सात वर्ष पूरे कर लिए हैं पीएमजेडीवाई की शुरुआत के बाद से अबतक इसके तहत कुल ४३.०४ करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक

खातों में १४६२३१ करोड रुपये भेजे गए। कुल खाताधारकों में ५५ प्रतिशत जन-धन खाताधारक महिलाएं हैं और ६७ प्रतिशत जन-धन खाते ग्रामीण और अर्द्ध शहरी इलाकों में हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला पीएमजेडीवाई खाताधारकों के खातों में कुल ३०९४५ करोड रुपये जमा किए गए साथ ही लगभग ५.१ करोड खाताधारक विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त करते हैं।

निष्कर्ष:- उपरोक्त शोधपत्र से स्पष्ट होता है किसी भी राष्ट्र के लिए वित्तीय समावेशन समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में मदद करता है, इससे बचत, निवेश में वृद्धि होती है जो आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है और बुनियादी औपचारिक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक प्रत्येक नागरिक सुनिश्चित करता है। भारत सरकार के द्वारा इसके महत्व को देखते हुए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति २०१९ह-२०२४ और वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति २०२०-२०२५ का वित्तीय जागरूकता लाने के उद्देश्य से गठन किया गया। वित्तीय समावेशन से सूक्ष्म, लघु, और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ावा मिला है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों सीधे लाभ दिया जा रहा है। भारत में कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक ऋण सरल पहुंच के किसान कार्ड के माध्यम से दिया गया है जिससे कृषि क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित हो सकें। वस्तुतः यही कारण है कि वित्तीय समावेशन के द्वारा ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाया जा सकता है।

संदर्भ सूची:-

1. ओझा, बी.एल. मुद्रा बैंकिंग एवं राजस्व ६५ शिवाजी नगर जयपुर २०१०
2. कुमार , अविनाश, वित्तीय समावेश व वित्तीय साक्षरता में राजभाषा हिन्दी का योगदान ,आधार सितम्बर २०१०
3. कुमार शर्मा सुधीर देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका मार्च २०१२
4. www.cds.edu
5. www.wikipedia.org
6. www.pmjandhanyojana.co.in
7. www.pmjdy.gov/scheme_detail.aspx